

F7S. No.

12679

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण

01, सेक्टर नॉलेज पार्क-4, ग्रेटर नौएडा सिटी-201310
जिला-गौतमबुद्ध नगर (उत्तर प्रदेश)

तत्काल/प्राथमिकता

पत्रांक: ग्रे0नौ0/ओ0एस0डी0(उद्योग)/2021/139.

दिनांक: 16/02/2021


सेवा में,

समस्त उद्यमी/उद्यमी संगठन
ग्रेटर नौएडा।

अवगत कराना है कि उ0प्र0 राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण द्वारा औद्योगिक सेक्टरों में भूखण्डों के उप-विभाजन हेतु पॉलिसी शासन स्तर पर निर्धारित करायी गई है, जिसमें मुख्य रूप से ऐसे भूखण्ड, जिस पर ईकाई 5 वर्षों तक क्रियाशील रही है, के उप-विभाजन का प्रावधान किया गया है, इससे ईकाई के पास यदि अतिरिक्त भूमि हो तो वह उसका उप-विभाजन कर विपणन कर सकती है। उप-विभाजन हेतु भूखण्ड का 50 प्रतिशत भाग ही उप-विभाजित कराया जा सकता है तथा प्रस्तावित क्षेत्रफल का 50 प्रतिशत प्राधिकरण को बाईबैक कराना होगा तथा शेष 50 प्रतिशत का विपणन आवंटी द्वारा किया जा सकता है।

अतः आप से अनुरोध है कि अपने औद्योगिक सेक्टरों में आवंटित भूखण्डों पर उक्त पॉलिसी का लाभ लिये जाने हेतु इच्छुक उद्यमियों की संख्या, नाम व मोबाइल नं0 सहित विवरण प्राधिकरण के उद्योग विभाग की मेल आईडी0 osdsps@gnida.in पर अतिशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें ताकि प्राधिकरण स्तर पर उक्त पॉलिसी पर विचार किया जा सके।

mgr(system)।


16.02.2021

(शिव प्रताप शुक्ल)
विशेष कार्याधिकारी (उद्योग)